न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्वसिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रा0पत्र 09/2019

प्रार्थीः—

सहदेव पुत्र श्री अमृतलाल शर्मा (सोनी) निवासी 2 च 45 पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. श्री संदीप पुत्र श्री सहदेव शर्मा (सोनी)
2. श्रीमती लता पत्नी श्री संदीप शर्मा (सोनी)
3. श्री कार्तिक उर्फ मिन्टु शर्मा पुत्र श्री संदीप शर्मा (सोनी) निवासीगण 2 च 45 पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली

उपस्थितिः—

1. श्री सहदेव, प्रार्थी
2. श्री संदीप, श्रीमती लता एवं श्री कार्तिक उर्फ मिन्ट अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

—:निर्णयः— दिनांक - 22.08.2019

1. प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भरण पोषण हेतु श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र के दिनांक 05.12.2017 के आदेश पारित किया कि अप्रार्थी संदीप व उस की पत्नि लता प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु है। को पाबंद किया कि दोनो प्रार्थी के रहने के लिए अलग कमरा की व्यवस्था करते हुये ससम्मान रूप से रखाव कर सेवा चाकरी करे। प्रार्थी के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित होने के बावजूद भी श्रीमान के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं ओर प्रार्थी करीब 84 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक है और लकवे से पीड़ित है। उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। छोटा पुत्र मुम्बई रहा है।

2. प्रार्थना—पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये वारंट जमानती से तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्रीमान के आदेश बाद मात्र दो बार घर पर आये थे प्रथम बार आये तब कमरा वगैरह देखकर गये मगर रूके नहीं तथा बाद मे अपने छोटे पुत्र के घर मुम्बई चले गये थे। प्रार्थी पर कैसा दबाव बढ़ाया स्पष्ट नहीं किया है। बावजुद इसके पिताजी (प्रार्थी) अब तक मुम्बई मे ही थे तो किसी प्रकार का दबाव बढ़ाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। कागजात लेने का आरोप पूर्व प्रार्थना पत्र मे भी उजर उठाया था जिसका निस्तारण दोनो पक्षो को सुनकर दिया गया है। पेंशन प्रार्थी के स्वंय के

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

खाते मे जमा होती है जिसमे से अप्रार्थी संख्या 1 ने एक रूपया भी आज तक नहीं मांगा है तथा भविष्य मे भी मांगने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 शराब को टच भी नहीं करता है तो शराब पीकर आने एवं गाली गलोच करने के तथ्य सिखावट से झूठे लिखे गये हैं। प्रार्थी अपने छोटे पुत्र की सिखावट से ही श्रमान के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा अब भी अपने छोटे पुत्र सतीश के साथ आये है तथा यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी दिनांक 30.07.19 को दुसरी बार पोती गायत्री के साथ आये थे तथा सुबह से शाम वहीं पर रहे थे तथा खाना खाकर शाम करीब 7 बजे वापस गये थे तथा वापिस नहीं आये थे। भाई का पुत्र के खिलाफ चैक अनादरण का केस होने से वो भागकर पाली से गया है न कि उसे धमकाया गया है। प्रार्थी के कहने से ही प्रार्थी ने रहवासीय मकान पर नीवे से दो कमरे, किचन, हॉल, बाथरूम, शौचालय इत्यादि बनाये थे फलतः प्रार्थी द्वारा निर्माण करने से कथन गलत है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को बिना विलम्ब किये तुरन्त घर पर ले जाने के लिये तैयार है। पहले भी तैयार था तथा हमेशा के लिये तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी का सदैव सम्मान किया जाता रहा है प्रार्थी हमारे पिता है जिसकी सेवा चाकरी के लिये अप्रार्थीगण सदैव तैयार थे तथा तैयार है तथा तैयार रहेंगे।

4. बहस उभयपक्ष के दौरान प्रार्थी ने निवेदन किया कि मैं मुम्बई मे मेरे भाई के साथ रहता हूँ। संदीप घर मे शराब का सेवन करता है तथा घर मेरे नाम से है तथा मैं संदीप के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी सेवा करेगा उसको मैं घर दे दुंगा। मैं संदीप को घर पर नहीं रखना चाहता हूँ। अप्रार्थी द्वारा मेरे छोटे बेटे के बेटे को मार पीट कर भगा दिया। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि जवाब ही बहस है।

5. उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया कि अप्रार्थीगण श्री संदीप प्रार्थी का पुत्र, लता प्रार्थी की पुत्रवधु तथा कार्तिक प्रार्थी का पौत्र हैं। भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रार्थी के पुत्र श्री संदीप की बनती हैं। अप्रार्थी की आर्थित स्थति को ध्यान रखते हुये यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 श्री संदीप 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपयें मासिक प्रार्थी के बैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखें। उक्त रूपये समय पर प्रार्थीया के बैंक/पोस्ट ऑफिस मे जमा करावें तथा किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते तथा प्रार्थी के पुत्रवधु को पाबंद किया जाता है कि वे देखभाल ससम्मान रूप से रख कर सेवा चाकरी करें।

6. आदेश की अवहेलना करने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर
पाली (राज.)

7. यह आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर
पाली

Scanned by CamScanner